न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 13/2023 अपील (GCMS 2023/14)
पंजीयन दिनांक- 07/02/2023
निर्णय दिनांक- / /2023

1. श्री कैलाशचन्द्र पिता राधाकिशन रामावत, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती अनिता पत्नि कैलाशचन्द्र रामावत, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
3. श्री उमाशंकर पिता उदयलाल दावोत, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

-अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

-रेस्पोडेंट

उपस्थितिः-

1.	श्री कैलाशचन्द्र रामावत एवं श्री उमाशंकर दावोत	अपीलांट्स स्वयं
2.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 46/2022
निर्णय दिनांक 23.01.2023

<u>निर्णय</u>

दिनांक / /2023

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के प्रकरण

संख्या 46/2022 निर्णय दिनांक 23.01.2023 के विरूद्ध दिनांक 01.02.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मेनार, पटवार हल्का मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में स्थित खाता संख्या 2151 पूराना खाता संख्या 1858 रकबा 0.1800 हैक्टेयर खसरा संख्या 853, खाता संख्या 2171 पूराना खाता संख्या 2151 रकबा 0.2200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 2170 पूराना खाता संख्या 2151 रकबा 0.2200 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराई जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 46/2022 निर्णय दिनांक 23.01.2023 अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23.01.2023 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:- *" न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर में आवंटन अपील का निस्तारण होने के पश्चात ही उक्त भूमि के खातेदार की स्थिति स्पष्ट हो सकती है तथा मौके पर विवाद भी भूमि पर कब्जे संबंधी है, जिसका निस्तारण भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। "*

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अपीलांट्स स्वयं उपस्थित, रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 18.09.2023 को सुनी गई।

- अपीलांट्स स्वयं ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि हम अपीलांट्स ने एक शिकायत प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित किया जिसमें अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसमें जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 19.07.2023 को निमित उप निबंधक जांच, राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रस्तुत की। जांच अधिकारी ने तहसीलदार, वल्लभनगर को अपील में वर्णित आराजीयात की सीमा जानकारी हेतु निर्देश प्रदान किये गये। तहसीलदार, वल्लभ्नगर द्वारा अपनी रिपोर्ट भी दिनांक 14.07.2023 से जांच अधिकारी को प्रेषित की गई है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर मौतबिरान की उपस्थिति में अपील में वर्णित आराजीयात की सीमा जानकारी कराई जावें।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ उपखण्ड अधीकारी, गिर्वा द्वारा दिनांक 23.01.2023 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- अब हम अपील में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, वल्लभनगर के यहां प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 46/2022 निर्णय दिनांक 23.01.2023 से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र मेंटेनेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई है।

- प्रकरण में अभिलेख से स्पष्ट है कि मौजा मेनार की नकल जमाबंदी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 2170 पर दर्ज आराजी नम्बर 8089/852 रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि अनिता पत्नि कैलाशचन्द्र के नाम दर्ज है,

खाता संख्या 8090/852 पर दर्ज आराजी नम्बर 2171 रकबा 0.2200 हैक्टेयर भूमि उमाशंकर पुत्र उदयलाल के नाम दर्ज है एवं खाता संख्या 2151 पर दर्ज आराजी नम्बर 853 रकबा 0.1800 हैक्टेयर भूमि कन्हैयालाल पुत्र देवा के नाम दर्ज है।

- प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पूर्व बिलानाम दर्ज थी। आवंटन से कन्हैयालाल पिता देवा कुम्हार के नाम दर्ज हुई उक्त भूमि खातेदारी अधिकार से दर्ज होने के पश्चात कन्हैयालाल से अपीलांट्स के द्वारा क्रय की गई, परंतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 46/2022 में रेस्पोडेंट्स श्री कमलाशंकर व अन्य द्वारा उक्त आवंटन विधि विरूद्ध बताकर उक्त आवंटन की अपील की गई है, जो अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर के आदेश से अनुसंधान किया गया जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा रेस्पोडेंट्स श्री कमलाशंकर व अन्य का कब्जा माना गया।

- अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, वल्लभनगर कि रिपोर्ट अनुसार भी मौके पर उक्त आराजीयात पर कब्जे संबंधी विवाद भी निरंतर जारी है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर में उक्त आवंटन की अपील का निस्तारण होने के पश्चात ही उक्त भूमि के खातेदार की स्थिति स्पष्ट हो सकती है एवं मौके पर विवाद भी भूमि पर कब्जे संबंधी है। इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे संबंधी विवाद है।

- प्रकरण में न्यायालय का मत है कि है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के अपीलाधीन आदेश में रेस्पोडेंट्स श्री कमलाशंकर व अन्य द्वारा वर्णित आवंटन की अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां पेश की गई है। उक्त अपील के निस्तारण के

उपरांत ही उक्त भूमि के खातेदार की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा दिनांक 23.01.2023 पारित निर्णय उचित प्रतीत होता है।

- उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है, अतएवं अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के निर्णय दिनांक 23.01.2023 को यथावत रखा जाता है।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर